-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध गांजे की खेती करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 20.1 किलोग्राम अवैध हरा गांजा बरामद किया गया।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य,अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2025 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध गांजे की खेती करने वाले अभियुक्त को थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम जमवारा से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना नरैनी पुलिस को क्षेत्र भ्रमण एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम जमवारा में एक व्यक्ति द्वारा अपने घर के पीछे बाड़े में अवैध गांजे की खेती किया है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा ग्राम जमवारा में मौके पर छापेमारी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मौके से 20 किलो 100 ग्राम अवैध हरा गांजा बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- 20 किलो 100 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंसार अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी जमवारा थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 244/25 धारा 8/20(a) एनडीपीएस एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री इन्दल यादव
2. कां0 सतीश यादव
3. का0 कां0 राकेश सिंह
4. म0कां0 प्रिया यादव